IV ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) दस्तावेज़ का जारी किए जाना ऋण सुपुर्दगी में सुधार और वित्तीय समावेशन की पहुंच बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों को गति प्रदान करने वाला साबित हुआ, जिसमें वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा संकेंद्रित प्रयास की परिकल्पना की गयी है। व्यवसाय प्रातिनिधियों (बीसी) के क्षमता निर्माण हेतु "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" मॉड्यूल विकसित करके, वित्तीय साक्षरता केंद्रों का विस्तार आदिवासी प्रखंडों तक करके और डिजिटल भुगतान तंत्र की पैठ को और गहन बनाकर वित्तीय साक्षरता की दिशा में लगातार प्रयास किए गए।

IV.1 रिज़र्व बैंक का मिशन वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ बैंक-रहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनके लिए संस्थागत ऋण प्रवाह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए एमएसएमई से संबंधित विशेषज्ञ समिति और कृषि ऋण की समीक्षा के लिए गठित आंतरिक कार्य-समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफ़ारिशों के अनुसार प्रयास किए गए।

IV.2 वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) दस्तावेज़ को वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में तैयार किया गया है। इस दस्तावेज को वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे जनवरी 2020 में जारी किया गया।

IV.3 एनएसएफआई कार्यनीति के अनुसरण में, वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा कई नवोन्मेषी कार्य किए गए। पहला, बैंकों द्वारा प्रायोगिक वित्तीय साक्षारता केंद्र (सीएफएल) एनजीओ के सहयोग से चलाए जा रहे हैं ताकि संरचनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के जरिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सके। दूसरा, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन हेतु द्वि-स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम 'संसाधनों के प्रदर्शन हेतु कौशल उन्नयन' (सुपर-बी) का प्रारंभ किया गया ताकि मूलभूत स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रभावी तरीके से प्रदान की जा सकें। तीसरा, रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) को सूचित किया कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में एक जिले की पहचान करें और उस जिले में उल्लेखनीय मौजूदगी वाले किसी एक सदस्य बैंक को इसे आबंटित करें जिससे देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार किया जा सके और उसकी पहुंच बढ़ायी जा सके। यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त जिले को एक वर्ष के भीतर डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाया जाए।

IV.4 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है। वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राथमिकत-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह संबंधी प्रदर्शन और वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना को खंड 3 में दिया गया है। अध्याय के अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IV.5 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में *उत्कर्ष* के अंतर्गत विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश के 20 आदिवासी प्रखंडों तक प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना का विस्तार किया जाएगा, और यह दो साल की अवधि तक चलेगा (पैरा IV.6);

- एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू. के. सिन्हा) द्वारा की गई विभिन्न सिफ़ारिशों की जांच कार्यान्वयन के उद्देश्य से की जाएगी (पैरा IV.7); और
- रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए जनवरी 2019 में एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया है (अध्यक्ष: श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर)। कार्य समूह की सिफारिशों की जांच कार्यान्वयन के उद्देश्य से की जाएगी (पैरा IV.8)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

IV.6 प्रायोगिक वित्तीय साक्षारता केंद्र (सीएफएल) जिन्हें संरचनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के जरिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों के 80 प्रखंडों में बैंकों और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था, उनका विस्तार तीन राज्यों - मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के 20 आदिवासी प्रखंडों में भी किया गया ताकि आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सके।

IV.7 एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति ने 37 सिफारिशें की थीं, जिनमें से 15 रिज़र्व बैंक से संबंधित थी। उनमें से, वीडियो-आधारित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों को जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया।

IV.8 आईडबल्यूजी ने 29 सिफारिशें कीं जिनमें से 10 रिज़र्व बैंक से, 13 सरकार से, 4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और 2 बैंकों से संबंधित हैं। अब तक जिन विषयों से संबंधित सिफारिशों पर कार्यान्वयन किया गया है, उनमें शामिल हैं- निगरानी के उद्देश्य से उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की शुरुआत करने, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ब्याज अनुदान के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण, लघु और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान, खेती के लिए वित्त-पोषण की मात्रा की समीक्षा, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को वित्तपोषण और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों/स्टार्ट-अप के साथ सहयोग ताकि किसानों को एकीकृत, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से ऋण मुहैया कराया जा सके।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.9 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार दिए जाने संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रदर्शन से पता चलता है कि यद्यपि, मात्रा की दृष्टि से ऋण में वृद्धि हुई थी, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर जोखिम के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दी जाने वाली उधारी में सभी बैंक समूहों में कमी आयी (सारणी IV.1)।

IV.10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) और कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) पर इन प्रमाण-पत्रों में व्यापार की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म से इस बात के संकेत मिलते हैं कि वर्ष 2019-20 के दौरान सभी पात्र संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। पिछले वर्ष 77.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस वर्ष भी कुल व्यापार की मात्रा में 43.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹4.68 लाख करोड़ रही। पीएसएलसी की चार श्रेणियों में, सबसे अधिक व्यापार पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान के मामले में देखने को मिला, जिसमें वर्ष के दौरान लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹1.70 लाख करोड़ और ₹1.46 लाख करोड़ रही।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के क्षेत्र में प्रदर्शन

₹ करोड़

मार्च-अंत में	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2018-19	23,05,978 (42.55)	10,18,994 (42.49)	1,54,337 (43.41)
2019-20*	23,14,242 (41.05)	12,72,745 (40.32)	1,67,108 (40.81)

*: अनंतिम।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएनबीसी या सीईओबीई, जो भी अधिक है, के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		ग्रामीण सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	792,000	954,823	165,000	152,340	143,000	149,667	1,100,000	1,256,830
2019-20*	972,000	1,061,215	202,500	149,694	175,500	162,857	1,350,000	1,373,766

*: अनंतिम
स्रोत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा

IV.11 कृषि और एमएसएमई श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधारी के रूप में वर्गीकरण के लिए कृषि (मीयादी ऋण घटक) हेतु प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक, और एमएसएमई के लिए प्रति उधारकर्ता ₹20 लाख तक का आगे उधार देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई से इतर) को बैंक ऋण का पात्र बनाया गया। आवास वित्त कंपनियों के संबंध में, आगे उधार देने की सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया। उपर्युक्त दिशानिर्देश 13 अगस्त 2019 से लागू हो गए। एनबीएफसी/ एचएफसी द्वारा आगे उधार देने की अनुमति किसी एक बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के पांच प्रतिशत तक के औसत आधार पर दी जा सकती है। मार्च 2020 में इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए इन्हें 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू किया गया है और तदुपरांत इनकी समीक्षा की जाएगी।

IV.12 निर्यात क्षेत्र के लिए बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, जो विभिन्न सीमाओं के अधीन है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के तहत निर्यात ऋण के वर्गीकरण के लिए स्वीकृत सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹40 करोड़ कर दिया गया और 20 सितंबर 2019 से ₹100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों के मौजूदा मानदंड को सभी घरेलू एससीबी और छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए खत्म कर दिया गया।

कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह

IV.13 भारत सरकार (जीओआई) प्रत्येक वर्ष वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹13.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, बैंकों ने ₹13.7 लाख करोड़ (लक्ष्य का 101.8 प्रतिशत) हासिल किया है, जिनमें से वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों ने अपने संबंधित लक्ष्यों का क्रमशः 109.2 प्रतिशत, 73.9 प्रतिशत और 92.8 प्रतिशत हासिल किया है (सारणी IV.2)।

IV.14 *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपभोग, निवेश और बीमा सहित खेती और अन्य जरूरतों के लिए एकल खिड़की के अंतर्गत किसानों को पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण प्रदान करता है (सारणी IV.3)।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.15 वर्तमान में, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के दायरे में 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, अर्थात, चक्रवात; सूखा; भूकंप; आग; बाढ़; सुनामी; ओला वृष्टि; भूस्खलन; हिमस्खलन; बादल फटना; कीट का हमला; और शीतलहर। तदनुसार, जहाँ इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन 33 प्रतिशत या

सारणी IV.3: *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2018-19	236.3	4,13,670.4	41,409.0
2019-20*	241.5	4,23,587.8	46,555.8

*: अनंतिम
स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक।

उससे अधिक हो, वहाँ रिज़र्व बैंक ने राहत प्रदान करने का दायित्व बैंकों को सौंपा है । बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ऋणों की पुनर्रचना/पुनर्निर्धारण और पात्र उधारकर्ताओं के सम्मुख आने वाली जरूरतों के अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देना शामिल है । वर्ष 2019-20 के दौरान, छह राज्यों, अर्थात ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर और राजस्थान द्वारा प्राकृतिक आपदा/दंगे या उपद्रवों की घोषणा की गई थी । जहां अगस्त 2019 में बाढ़ के कारण केरल और कर्नाटक में फसल नुकसान हुआ, वहीं अगस्त-अक्टूबर 2019 के दौरान राजस्थान सूखे से प्रभावित रहा । जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान महाराष्ट्र को भी अत्यधिक बारिश/बाढ़ का का सामना करना पड़ा । मई 2019 में चक्रवात फैनी ने ओडिशा में भारी तबाही मचाई, जबकि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में उपद्रव की घटनाएं हुईं । जहां वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा इनमें प्रभावित व्यक्तियों को ₹32,639 करोड़ का नया ऋण प्रदान किया गया, वहीं उसी अवधि के दौरान बैंकों द्वारा ₹13,296 करोड़ के ऋण की पुनर्रचना/पुनर्निर्धारण किया गया (सारणी IV.4) ।

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं हेतु राहत उपाय

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नया वित्त/पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	3	4
2018-19	3.90	10,349	5.50	10,983
2019-20*	9.04	13,296	10.06	32,639

*: अनंतिम
स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी) ।

IV.16 ब्याज अनुदान के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए आईडबल्यूजी ने सिफारिश की थी कि बैंक ब्याज अनुदान के लिए पात्र किसानों को सिर्फ केसीसी मोड के माध्यम से फसल ऋण

बॉक्स IV.1
कृषि ऋण और कृषि क्षेत्र के लिए उसके निहितार्थों की समीक्षा करने हेतु आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट

समग्र जीडीपी और रोजगार सृजन में इसके योगदान के संदर्भ में देखें तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । कई मुद्दे और चुनौतियां हैं जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, मसलन ऋण तक पहुंच, ऋण की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता और ऋण माफी के कारण ऋण संस्कृति से संबंधित मुद्दे । रिज़र्व बैंक ने इन समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए 2018-19 (7 फरवरी 2019) की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 'कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह' के गठन की घोषणा की ।

कार्य समूह की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी सिफारिशों में शामिल हैं - भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण; ऋण वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टल को अपनाना; क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने संबंधी दिशा-निर्देश तथा ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के आबंटन की प्रक्रिया; और, बुनियादी स्तर की ऋण सुविधा देते समय कार्यशील पूंजी और संबद्ध गतिविधियों के लिए मीयादी ऋण दोनों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करना । आईडब्ल्यूजी ने ब्याज अनुदान योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने; संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को भी केसीसी योजना के दायरे में लाने; खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए वित्तपोषण की मात्रा तय करने में दक्षता लाने; सरकारी गारंटी निधि के कोष को बढ़ाते हुए किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने; एक डेटाबेस स्थापित करने; कृषि क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना आरंभ करने; और कृषक जोत की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाने की सिफारिश की ।

29 सिफारिशों में से छह सिफ़ारिशों को वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यान्वयित कर दिया गया है, जो निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त एमआईएस शुरू करने, केसीसी के माध्यम से ब्याज अनुदान के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण, लघु और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान, खेती के लिए वित्त की मात्रा की समीक्षा, एफपीओ वित्तपोषण मॉडलों तथा किसानों को एकीकृत, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों/स्टार्ट-अप के साथ सहयोग से संबंधित हैं ।

स्रोत: आरबीआई

प्रदान करें (बॉक्स IV.1)। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से) कि ब्याज अनुदान और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र सभी ऋणों को 31 मार्च 2020 तक केसीसी में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया।

एसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.17 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एमएसएमई के लिए औपचारिक ऋण के प्रमुख स्रोत हैं। एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना रिज़र्व बैंक और सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकता रही है। हालांकि, सामान्य ऋण मंदी के साथ-साथ, एमएसएमई को बकाया बैंक ऋण में भी कमी आ गई थी, और इसमें 2019-20 में 2.34 प्रतिशत वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले वृद्धि 14.08 प्रतिशत थी) [सारणी IV.5]।

एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

IV.18 एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति ने 37 सिफारिशें की थीं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख सिफ़ारिशों में व्यापक और समग्र एमएसएमई संहिता लागू करना, एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली वेंचर कैपिटल/प्राइवेट इक्विटी फर्मों को सहारा प्रदान करने के लिए सरकार-प्रायोजित संकटग्रस्त आस्ति निधि और निधियों की निधि (एफओएफ) का सृजन करना, देरी से भुगतान के मामलों पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के तहत स्थापित सूचना उपयोगिता को चालान की रिपोर्टिंग करना और गैर-कॉर्पोरेट संस्था के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में पैन का सृजन शामिल हैं। इसके अलावा, समिति ने क्रेडिट गारंटी कवर को चूक की राशि के 75 प्रतिशत तक (वर्तमान में 50 प्रतिशत) बढ़ाने की सिफारिश की थी, और एमएसई एवं एसएचजी को उधार देने के लिए वर्तमान में निर्धारित ₹10 लाख के संपार्श्विक-मुक्त ऋणों की सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख करने की भी सिफ़ारिश की थी। इन दोनों सिफ़ारिशों को सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत 16 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, सरकार द्वारा फरवरी 2020 से तीन व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफार्मों का एकीकरण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के साथ कर दिया गया। अन्य सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक से संबंधित प्रमुख सिफ़ारिशों में क्लस्टर्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों के लिए कम लागत वाली उधार खिड़की खोलने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की न्यूनतम निधियों का उपयोग, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत महत्वाकांक्षी जिलों में एमएसएमई ऋण को अतिरिक्त भारिता देने की शुरुआत, एमएसएमई नवोन्मेषी उधार-उपायों (लेंडिंग इनोवेशन सैंडबॉक्स) की शुरुआत, वीडियो-आधारित केवाईसी, ₹5.0 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ करने के लिए विनियामकीय खुदरा की सीमा में संशोधन और वर्तमान में ₹10 लाख तक के गैर-संपार्श्विक एमएसई ऋणों की सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाना शामिल हैं। वीडियो-आधारित केवाईसी से संबंधित सिफारिश को जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया है। अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

सारणी IV.5: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	255.60	6,59,102.4	23.03	6,38,030.8	2.60	1,97,419.2	320.68	15,10,650.5
2019-20*	352.90	7,16,962.3	23.26	6,33,624.9	3.52	1,95,487.0	379.69	15,46,074.2

***:** अनंतिम।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना – दिशा-निर्देशों में संशोधन

IV.19 भारत सरकार ने 2 नवंबर 2018 को वर्ष 2018-19 (अर्थात, 2 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच) और 2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ₹100 लाख तक के नए या वृद्धिशील ऋणों पर एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज अनुदान की घोषणा की थी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2019 में एससीबी को दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत, मान्य *उद्योग आधार* नंबर (यूएएन) और जीएसटीएन नंबर रखने वाले सभी एमएसएमई इस योजना के तहत पात्र हैं। भारत सरकार ने ब्याज अनुदान का लाभ उठाने के लिए दिशानिर्देशों में ढील दी है, अर्थात यूएएन के बिना व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति, कई हिस्सों में दावों की स्वीकृति, 30 जून 2020 तक सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र के आधार पर दावों का निपटारा करना, जीएसटी हेतु पात्र इकाइयों के लिए यूएएन की अपेक्षा को खत्म कर देना। इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2020 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना

IV.20 प्रत्येक जिले में एक बैंक को निर्दिष्ट करते हुए उसे अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपने का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। जून 2020 के अंत तक, देश के 726 जिलों में 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच

IV.21 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित मॉडलों यथा बीसी, एटीएम और मोबाइल वैन के रूप में वित्तीय बिचौलियों के आगमन से वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच, मात्रा और पैठ बढ़ी है। भुगतान बैंकों को भी अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) के तहत शामिल किया गया है। 30 सितंबर 2019 तक (पूरे देश की एसएलबीसी से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार), देश में 2,000 से कम जनसंख्या वाले चिन्हित 4,91,490 गावों में से 4,87,496 (99.2 प्रतिशत) गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयी हैं। 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले 8,687 चिह्नित गांवों में से 8,200 गांवों (94.4 प्रतिशत) को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई गयी है।

डिजिटल भुगतान तंत्र की पैठ बढ़ाना

IV.22 देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार करने और उसकी पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में सभी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को सूचित किया कि वे अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसी एक जिले की पहचान करें और उसे अपने एक ऐसे सदस्य बैंक को आबंटित करें जिसकी जिले में प्रभावी मौजूदगी हो। आबंटिती बैंक एक वर्ष के भीतर उक्त जिले को डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को जनवरी 2020 में सूचित किया गया था कि वे चिन्हित किए गए जिले में स्थित सदस्य बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों) की सभी शाखाओं के लिए एक समयबद्ध खाका तैयार तैयार करें ताकि अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से डिजिटल लेनदेन की सुविधा के लिए व्यापारियों/व्यवसायियों/कारोबारियों/उपयोगी सेवा प्रदाताओं को इससे जोड़ा जा सके।

डिजिटल भुगतानों पर एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की उप-समिति का गठन

IV.23 रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2019 में गठित डिजिटल भुगतानों की पैठ बढ़ाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति (सीडीपीडी) (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलेकणि) की सिफारिश के अनुसार, एसएलबीसी/यूटीएलबीसी के सभी संयोजक बैंकों से अगस्त 2019 में डिजिटल भुगतान संबंधी उप-समिति गठित करने को कहा गया है। यह समिति अपने-अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का प्रयास करेगी, यथा: (i) वित्तीय संस्थाओं की मैपिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा के लिए बैंक खातों को सुव्यवस्थित करना; (ii) गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान और बैंकिंग

प्रतिनिधियों को पुनर्व्यवस्थित करना; (iii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नवोन्मेषी वित्तीय साक्षरता उपाय; (iv) बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो अंतराल रह जाता है, उसे कवर करने के लिए भुगतान बैंकों की पहुंच और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना; (v) डिजिटल वित्तीय ढांचे की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) अंक, डेबिट कार्ड निर्गम, बिक्री केंद्र (पीओएस) की स्थिति की निगरानी; (vi) ग्रामीण ग्राहकों के लाभ के लिए डिजिटल लेनदेन शुरू करने हेतु सभी थोक अनाज *मंडियों* और *गांव* के हाटों में पर्याप्त डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करना; और (vii) सरकार से व्यापारी (जी2एम), सरकार से व्यक्ति (जी2पी), व्यक्ति से सरकार (पी2जी) और व्यापारी से सरकार (एम2जी) के लेनदेन की निगरानी। उप-समिति डिजिटलीकरण के स्तरों का आकलन करेगी और उसकी पैठ बढ़ाने का उपाय खोजेगी।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.24 वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) वित्तीय समावेशन के लिए एक सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जिनके तहत बोर्ड अनुमोदित एफआईपी के रूप में बैंकों के उच्चतम स्तर द्वारा व्यक्त की गयी प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं। इस योजना में आउटलेट्स की संख्या (शाखाएं और बीसी), बैंक की शाखाओं और बीसी द्वारा खोले गए मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), उन खातों में ली गयी ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, केसीसी के लेनदेन, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खाते और बीसी-आईसीटी चैनल के माध्यम से किए गए लेनदेन जैसे मापदंडों के आधार पर बैंकों द्वारा स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था दी गयी है। बैंकों द्वारा इन मापदंडों पर हुई प्रगति के बारे में रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर सूचित किया जाता है (सारणी IV.6)।

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट (मार्च अंत)

ब्योरा	2010	2019	2020*
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स- शाखाएं	33,378	52,489	54,561
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स>2000-बीसी	8,390	1,30,687	1,49,106
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स<2000-बीसी	25,784	4,10,442	3,92,069
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स-बीसी	34,174	5,41,129	5,41,175
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स- अन्य माध्यमों से	142	3,537	3,481
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स- कुल	**67,694**	**5,97,155**	**5,99,217**
बीसी के जरिए समावेशित शहरी भूभाग	447	4,47,170	6,35,046
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (संख्या लाख में)	600	2,547	2,616
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (राशि करोड़ में)	4,400	87,765	95,831
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (संख्या लाख में)	130	3,195	3,388
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (राशि करोड़ में)	1,100	53,195	72,581
बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	**735**	**5,742**	**6,004**
बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**1,40,960**	**1,68,412**
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	59	64
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	443	529
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	491	475
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,68,044	6,39,069
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	120	202
जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,74,514	1,94,048
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	21,019	32,318
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	5,91,347	8,70,643

* अनंतिम #: वर्ष के दौरान लेनदेन।
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां

वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति की निगरानी (एमपीएफआई)

IV.25 रिज़र्व बैंक की नीतियों का तालमेल वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए बने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) दस्तावेज़ में उल्लिखित दृष्टिकोण के साथ बैठाते हुए, एफआईपी टेम्पलेट को संशोधित किया गया है और इसे 'वित्तीय समावेशन की निगरानी प्रगति (एमपीएफआई)' का नाम दिया गया है ताकि अधिक सूक्ष्म डाटा और जमीनी स्तर के गुणात्मक पहलुओं को समेटा जा सके। एमपीएफआई के तहत प्राप्त डेटा को रिज़र्व बैंक की स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) के माध्यम से स्वचालित बनाया जाएगा।

बीसी मॉडल के लिए हाल ही में उठाए गए नए कदम

IV.26 बीसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से, बीसी के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रमाणन फ्रेमवर्क भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को जारी करते हुए उसे लागू करने को कहा गया। वह उसे आगे कार्यान्वयित करने के लिए जारी किया गया था। तदनुसार, एसएफबी सहित घरेलू एससीबी को भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा संचालित बीसी प्रमाणन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2020 तक पूरा करने को कहा गया है। भुगतान बैंकों को बीसी की संख्या के आधार पर बीसी प्रमाणन को समय-सीमा में अंतर रखते हुए पूरा करने की सलाह दी गई है। आईआईबीएफ से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान पंचानवे हजार से अधिक बीसी को प्रमाणित किया गया है।

व्यवसाय प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम

IV.27 बीसी के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन के लिए 'संसाधनों के प्रदर्शन हेतु कौशल उन्नयन – व्यवसाय प्रतिनिधि (सुपर-बी)' शीर्षक से द्वि-स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तीन चरणों में आयोजित पहले टियर में, क्षेत्रीय कार्यालयों से एससीबी प्रशिक्षकों, अधिकारियों/संकायों और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के अग्रणी जिला अधिकारियों (एलडीओ) को प्रशिक्षित किया गया था। बैंकों को इस कार्यक्रम के टियर- II को पूरा करने का निदेश दिया गया है, जिससे ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा, और जो आगे चलकर उनकी शाखाओं से जुड़े बीसी को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे और उन्हें जागरूक बनाएंगे। 31 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार, उक्त कार्यक्रम के इस दूसरे चरण के अंतर्गत 39,000 से अधिक ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया था।

वित्तीय साक्षारता

IV.28 मध्यवर्ती (मिड-लाइन) सर्वेक्षण[1], जो सीएफएल पर प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन का हिस्सा था, वर्ष 2019-20 के दौरान पूरा कर लिया गया। इस मध्यवर्ती सर्वेक्षण के अवलोकन /निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

ए. मध्यवर्ती सर्वेक्षण से सीएफएल कार्यक्रम की व्यापक पहुंच और उत्तरदाताओं के मौलिक जुड़ाव के बारे में पता चलता है;

बी. 'सक्रिय' सहभागिता अर्थात् बैठकें या प्रशिक्षण आमने-सामने बैठकर करना, वित्तीय साक्षरता और उत्पादों, विशेष रूप से बचत बैंक खाते खुलवाने और उनके उपयोग को बढ़ाने की दिशा में बेहतर परिणाम देता है; और

सी. शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने की इच्छा और शिकायतों को जल्दी और संतोषजनक हल प्राप्त होने के विश्वास में मामूली सुधार देखा गया है, और उन लोगों में स्पष्ट रूप से दिखा जिन्हें जागरूकता कार्यक्रमों में 'सक्रिय' सहभागिता का मौका मिला था।

IV.29 सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि इस तरह की जानकारी और ज्ञान का व्यापक प्रसार करके और नेटवर्क-आधारित प्रचार-प्रसार का फायदा उठाकर वित्तीय साक्षरता में सुधार किया जा सकता है। हालांकि, उत्पाद के उपयोग और वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के उपभोग हेतु प्रोत्साहित करने के

[1] मध्यवर्ती सर्वेक्षण से आशय चरणबद्ध यादृच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बीच की अवधि में ही एकत्रित किए गए आंकड़ों से है।

लिए एकजुट होकर केंद्रित, लक्षित और सतत प्रयास करने की जरूरत है ताकि उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) द्वारा संचालित गतिविधियां

IV.30 मार्च 2020 के अंत में, देश में 1,467 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) काम कर रहे थे। वर्ष 2019-20 के दौरान एफएलसी द्वारा वित्तीय साक्षरता संबंधी 1,48,444 गतिविधियों का संचालन किया गया, जो पिछले वर्ष के दौरान की गयी 1,45,427 गतिविधियों से ज्यादा था।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 मनाया गया

IV.31 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) रिज़र्व बैंक की पहल है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष सघन अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर जनता/विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, एफएलडब्ल्यू 10-14 फरवरी 2020 के दौरान मनाया गया, जिसका विषय एमएसएमई था। औपचारिकता, संपार्श्विक मुक्त ऋण, प्राप्य राशियों को भुनाने, दबावग्रस्त इकाइयों के पुनर्वास और समय पर चुकौती से संबंधित पहलुओं पर पोस्टर/पत्रक और श्रव्य-दृश्य माध्यम में सामग्री तैयार की गयी ताकि एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में जागरूकता पैदा की जा सके और वित्तीय साक्षरता संबंधी संदेशों को प्रसारित किया जा सके। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी ग्रामीण बैंक शाखाओं, एफएलसी, एटीएम में और वेबसाइटों पर इन पोस्टरों और सामग्री को प्रदर्शित करें। रिज़र्व बैंक ने भी एमएसएमई उद्यमियों के बीच अत्यावश्यक वित्तीय जागरूकता संदेश प्रसारित करने के लिए फरवरी 2020 के दौरान एक केंद्रीकृत संपर्क मास मीडिया अभियान चलाया।

द्वितीय राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई: 2020-25)

IV.32 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) [अध्यक्ष: एफआईडीडी, आरबीआई के प्रभारी उप गवर्नर] के तत्वावधान में तैयार की गई थी, जिसमें भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई एवं पीएफआरडीए) के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में थे और इसे गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए तैयार की गयी एनएसएफई का उद्देश्य वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के स्वप्न को साकार करना है जिसके तहत समुचित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने में देशवासियों की मदद करके उन्हें अपने पैसों के बेहतर प्रबंधन करते हुए अपने भविष्य की आयोजना करने लायक बनाया जाना है। भारतवासियों को वित्तीय खुशहाली मिले, इसके लिए इस इस कार्यनीति में एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। कार्यनीति में की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए किया जाएगा और उक्त कार्यनीति की अवधि (2020-25) के दौरान इसकी आवधिक निगरानी एफएसडीसी-एससी के अंतर्गत टीजीएफआईएफएल द्वारा की जाएगी।

ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन पर कोविड-19 का असर

IV.33 कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय समावेशन की प्रगति के मार्ग में आयी चुनौतियां अभूतपूर्व हैं और इनसे निपटने के लिए सभी संबंधित हितधारकों से बहुविध दृष्टिकोण अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक द्वारा कई नीतिगत उपाय किए गए। महामारी के दौरान समाज के कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में वैकल्पिक डिलिवरी चैनल, विशेष रूप से बीसी मॉडल, द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका उभारकर सामने आयी। व्यवसाय प्रतिनिधि सुदूर स्थानों तक बैंकिंग सेवाओं को मुहैया करा रहे हैं और *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना* के तहत भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को नकद लाभ देने की घोषणा के साथ, बीसी केंद्रों पर कामकाज, विशेष रूप से नकद निकासी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी है। बैंकों द्वारा निपटान खातों में ओवरड्राफ्ट सीमा बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छता, परिवहन, बीमा कवर की पूर्ति के लिए बीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने और एहतियाती दिशानिर्देशों के संबंध में नियमित रूप से बीसी को शिक्षित करने

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा कई कदम उठाए गए थे।

IV.34 किसानों के हितों की रक्षा हेतु अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज अनुदान और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन को विस्तारित अधिस्थगन अवधि तक जारी रखा गया है। बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए, छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई द्वारा जारी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनियोजित टीएलटीआरओ 2.0 योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त धनराशि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से एएनबीसी से छूट दी गई थी। इसी तरह, म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के तहत, एसएलएफ-एमएफ के अंतर्गत अर्जित की गई और एचटीएम श्रेणी के तहत रखी गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को एएनबीसी की गणना करते समय घटाने की अनुमति दी गई थी।

3. वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

IV.35 इस वर्ष के दौरान, विभाग ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा:

- बीसी की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम और व्यवसाय प्रतिनिधि रजिस्ट्री की समीक्षा *(उत्कर्ष)*;
- विशिष्ट लक्ष्य समूह के लिए ऑन-लाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करना *(उत्कर्ष)*;
- सीएफएल संबंधी प्रायोगिक परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण को पूर्ण करना *(उत्कर्ष)*;
- "एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति" और "कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह" की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना *(उत्कर्ष)*;
- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) के कार्यान्वयन की निगरानी करना; और
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा।

4. निष्कर्ष

IV.36 संक्षेप में, संबंधी विशेषज्ञ समिति और कृषि ऋण संबंधी आंतरिक कार्य समूह की सिफारिशों के माध्यम से इस वर्ष के लिए यह कार्ययोजना तैयार की गयी थी कि वित्तीय समावेशन में सुधार लाया जाए और इन क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि की जाए। बीसी रजिस्ट्री, बीसी प्रमाणन और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण जैसी पहले दीर्घावधि में बीसी मॉडल को सशक्त करने वाली साबित होंगी। इसके अलावा, एनएसएफआई दस्तावेज़ के तहत अपनाई गई कार्यनीति के कार्यान्वयन से अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता में वृद्धि होगी, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार होगा और इसकी पैठ बढ़ेगी और वित्तीय समावेशन योजनाओं में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की निगरानी हेतु एमआईएस में सुधार होगा। भविष्य में, एक ओर जहां उपर्युक्त रिपोर्टों की शेष सिफारिशों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, वहीं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा भी आगामी वर्ष में की जाएगी।